भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4150

(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

प्रेस सेवा पोर्टल

4150. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों और आवधिक पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई प्रणाली पिछली पंजीकरण प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) प्रेस सेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) क्या प्रेस सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करते समय उपयोगकर्ताओं को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क): सरकार ने पुराने पीआरबी अधिनियम को निरस्त करने के बाद 1 मार्च, 2024 से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण (पीआरपी) नियम, 2024 को लागू किया है। नए अधिनियम ने पुराने अधिनियम के अनुसार आवश्यक अनेक अनुमोदनों को हटा दिया है। ये अनुमोदन भारत में समाचार पत्र/मुद्रित प्रकाशन शुरू करने के लिए अलग-अलग चरणों में

आवश्यक होते थे। इसलिए इस कार्य से प्रकाशकों, खासकर छोटे और मध्यम समाचार पत्रों/प्रकाशकों को बहुत लाभ हुआ है।

नए पीआरपी अधिनियम में समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रावधान है और तदनुसार, इस प्रयोजन के लिए सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यथा प्रेस सेवा पोर्टल विकसित किया गया है।

(ख): पीआरपी अधिनियम, 2023 का अधिनियमन और उसके बाद प्रेस सेवा पोर्टल का विकास, समाचार पत्रों के पंजीकरण की पिछली मैनुअल प्रक्रियाओं से एक बड़ा बदलाव है। चूंकि पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए आवेदन में विसंगतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी, जिससे आवेदनों का तेजी से निपटान किया जा सकेगा। आवेदन की स्थिति सभी चरणों में अपडेट की जाती है और आवेदक को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और गलत सूचना के कारण होने वाला विलंब नहीं होता है।

(ग): प्रेस सेवा पोर्टल को कई मॉड्यूलों में संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को समाचारपत्र और नियतकालिक पत्रिका के पंजीकरण के अनुपालन के विशिष्ट पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

- किसी मौजूदा समाचार पत्र के नए पंजीकरण/नए संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रिकाओं के विवरण में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- स्वामित्व हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद करने के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- न्यूजप्रिंट आयात के लिए स्व-घोषणा के प्रमाणीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन।
- नियमितता के अनुपालन के लिए समाचार पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऑनलाइन अपलोड करना।
- जिला मजिस्ट्रेटों के लिए ई-साइन प्रमाणीकरण।
- लंबित आवेदनों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारियों को स्वचालित अधिसूचनाएं।
- ई-हस्ताक्षर आधारित प्रमाणपत्र जेनेरेट करना।
- क्यूआर + हैश-कोडेड डिजिटल प्रमाणपत्र।

- वार्षिक विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- स्वचालित जुर्माना भुगतान और शुल्क संग्रह।
- वित्तीय अभिलेखों का रियल- टाइम अपडेट।
- पुराने पंजीकरण रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण।
- पीआरपी नियमों के अंतर्गत कानूनी और विनियामक अनुपालन के लिए प्रावधान।
- डेस्क ऑडिट के माध्यम से परिचालन सत्यापन।

(घ): भारत के प्रेस महापंजीयक ने तकनीकी मुद्दों, पंजीकरण संबंधी विलंब और अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए निम्नानुसार कई तंत्र लागू किए हैं:

- प्रकाशकों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित टेलीफोन हेल्पलाइन।
- शिकायतें प्राप्त करने/समाधान करने के लिए समर्पित ईमेल।
- तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए प्रकाशकों के साथ नियमित ऑनलाइन वी.सी. बैठकें।
- कस्टमर रिलेशन अधिकारियों द्वारा प्रकाशकों के साथ नियमित भौतिक बैठकें।

****